रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में पर्यटकों के उपयोग हेतु निजी कंपनी की भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का दस्तावेज

जारीकर्ता :

निदेशक
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, शामला हिल्स भोपाल–462002

क्रमांक:22-1/2023 Tpt   दिनांक: 12 मार्च 2024

<u>निविदा सूचना</u>

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में पर्यटकों के उपयोग हेतु निजी कंपनी की भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest का आमंत्रण।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ,भोपाल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान है, जो भोपाल शहर के मध्य लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष पर्यटक पैदल, साइकिल एवं स्वयं के वाहन से भ्रमण हेतु आते है। पर्यटको की सुविधा हेतु संग्रहालय में निजी कंपनी की भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाया जाना प्रस्तावित है। संग्रहालय प्रबंधन इच्छुक एजेंसियां/निर्माताओं से संग्रहालय में 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित करता है।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: **18 मार्च 2024 दोप. 1.00 बजे तक**

प्रस्ताव खोलने की तिथि: **19 मार्च 2024 दोप. 3.00 बजे**

वाहन के संबंध में भौतिक प्रस्तुतीकरण देने की तिथि – **समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी**

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के नियम एवं शर्ते संग्रहालय की वेबसाइट **www.igrms.org.in** पर भी उपलब्ध है।

निदेशक

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ,भोपाल स्थित एक मानवविज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष सन्दर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह अनोखा संग्रहालय शामला की पहाडियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ हैए जहाँ 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी हैं। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। इसमें भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है।

<u>उद्देश्य :-</u>

1. संग्रहालय को प्रदूषण मुक्त करना।
2. पैदल भ्रमण पर आये दर्शकों को संग्रहालय भ्रमण हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना।

<u>अवधि :-</u>

संग्रहालय में 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु अनुबंध 02 वर्ष के लिए किया जावेगा। 02 वर्ष पश्चात् संग्रहालय प्रबंधन द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी।

<u>निविदा में भाग लेने की पात्रता :-</u>

1. संस्था के पास फर्म का जी.एस.टी. नंबर होना आवश्यक है।
2. संस्था के पास बैट्री ऑपरेटेड वाहन के अधिकृत विक्रेता/निर्माता का प्रमाण पत्रा।
3. बैट्री ऑपरेटेड वाहन नियमानुसार म.प्र. शासन के निर्धारित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4. संस्था / निर्माता का पैनकार्ड का नंबर ।

<u>यांत्रिक कार्यशाला वाहन मरम्मत हेतु :-</u>

1. संस्था/फर्म/निर्माता के पास बैट्री ऑपरेटेड वाहन की मरम्मत हेतु स्वयं का गैराज होना अनिवार्य है।
2. बैट्री ऑपरेटेड वाहन की मरम्मत हेतु आवश्यक तकनीकी कर्मचारी होना आवश्यक है।

<u>मूल्यांकन प्रक्रिया –</u>

निविदा के मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

<u>प्रथम चरण – तकनीकी आंकलन</u>

1. संग्रहालय द्वारा गठित की गई क्रय समिति द्वारा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी दस्तावेजो का मूल्यांकन किया गया जावेगा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को समिति द्वारा निर्धारित तिथि को निजी भागीदारी से चलाये जाने वाले 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन का भौतिक प्रदर्शन समिति के समक्ष संग्रहालय में लाकर करना होगा जिसका किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित को नहीं किया जावेगा।
3. तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर निविदा स्वीकार की जावेगी।

<u>द्वितीय चरण – फायनेंशियल आंकलन</u>

1. संग्रहालय द्वारा गठित की गई क्रय समिति द्वारा तकनीकी रूप से उपयुक्त पायी गई निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव (फायनेंशियल विड) का मूल्यांकन किया जावेगा।

<u>रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)</u>

संबधित संस्थाएं जिनको संग्रहालय में अपने 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन निजी कंपनी की भागीदारी के तहत (PPP Mode) के माध्यम से चलाने में रूचि रखते है। वह रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) में भाग ले सकते है।

<u>तकनिकी प्रस्ताव</u>

1. फर्म का नाम व पूर्ण पता जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज में उपलब्ध हो।
2. संस्था की बैंलेस शीट पिछले 3 साल की जो कि सी.ए. से सर्टिफाइड हो।
3. संबंधित व्यक्ति का नाम जिनका मोबाइल नंबर व ई–मेल पता एवं फैक्स नं. होना चाहिए।
4. संबंधित का व्यवसाय से संबंधित योग्यता का अनुभव होना अनिवार्य होना चाहिए।
5. संबंधित संस्था का किसी शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में निजी भागीदारी के अंतर्गत बैट्री ऑपरेटेड वाहन चलाने का अनुबंध की छायाप्रति।

<u>वित्तीय प्रस्ताव</u>

रूचि रखने वाली संबंधित संस्था को यहां रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) हेतु निविदाये दिनांकः 13 मार्च 2024 सायं 4.00 बजे तक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, शामला हिल्स, भोपाल–462002 में प्रस्तुत करेंगे।

1. 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन से संग्रहालय भ्रमण करने वाले पर्यटको से लिये जाने वाली किराये की राशि का निर्धारण सफल निविदाकार द्वारा निदेशक, इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल की सहमति से किया जावेगा।
2. एनेक्जर – I में पर्यटकों से प्राप्त किराये की राशि में से संग्रहालय को संबंधित फर्म द्वारा कितने प्रतिशत राशि दी जावेगी, प्रस्तावित करना होगा।
3. अधिकतम प्रतिशत में राशि प्रस्तावित करने वाली संस्था/फर्म को ही अनुमति दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

<u>विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क सूत्र</u>

यदि संबंधित संस्था को कोई भी पूछताछ करना हो तो वे संग्रहालय के निम्न अधिकारियों/शाखा प्रभारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

निदेशक सचिवालयः 0755–2661458

वाहन प्रभारीः 9131835085/9827225308

निजी कंपनी की भागीदारी (PPPMode) के माध्यम से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय , भोपाल में 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु नियम व शर्तेः-

1. संबंधित फर्म को संग्रहालय में 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन की बैट्री आदि चार्जिंग हेतु विद्युत खपत के आंकलन हेतु उपलब्ध कराई गई पार्किंग स्थल पर विद्युत सब मीटर लगाना होगा।

2. संबंधित फर्म को बैट्री चार्जिंग पर विद्युत खपत का भुगतान म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रत्येक माह करना होगा।

3. संबंधित फर्म को बैट्री ऑपरेटेड वाहन संचालन हेतु पर्यटकों को टिकिट प्राप्त कराने हेतु दोनो प्रवेश द्वारों पर एक-एक व्यक्ति रखना होगा।

4. सफल निविदाकार का प्रारंभिक अनुबंध 02 वर्ष के लिये होगा।

5. संग्रहालय मे बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा पर्यटकों को प्रदाय किये जाने वाले टिकिट संग्रहालय स्थित प्रवेश द्वार से प्राप्त किये जाने होंगे। पर्यटकों से प्राप्त राशि का अंश सम्बंधित फर्म/संस्था/व्यक्ति के खाते में अगले माह की 10 तारीख तक हस्तांतरित किया जावेगा।

6. 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहनो की संख्या संग्रहालय प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई/ बढाई जा सकती है I

7. 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा सम्बंधित वाहन का वैध बिमा होना चाहिए I

8. संग्रहालय में 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा पर्यटकों को प्रदाय किये जाने वाले टिकिटों का रखरखाव हिसाब किताब संग्रहालय टिकट प्रभारी द्वारा किया जावेगा।

9. संबंधित फर्म को बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन में पर्यटकों से प्राप्त आय का संग्रहालय को दिये जाने वाले अंश का उल्लेख प्रस्ताव में करना होगा।

10. संबंधित फर्म, संग्रहालय में संचालित किये जाने वाले बैट्री ऑपरेटेड वाहनों पर संग्रहालय से संबंधित विज्ञापन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विज्ञापन नही कर सकेगी।

11. संबंधित फर्म को संग्रहालय में संचालित बैट्री ऑपरेटेड वाहन के चालकों को संग्रहालय के द्वारा निर्धारित गणवेश प्रदाय करनी होगी।

12. संग्रहालय में संचालित बैट्री ऑपरेटेड वाहन के रखरखाव एवं अनुश्रवण का दायित्व संबंधित फर्म का होगा।

13. संग्रहालय में बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन के संबंध में असंतोषप्रद सेवायें होने पर किसी भी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार निदेशक, इं गा रा मा सं, भोपाल को होगा।

14. प्राकृतिक आपदा आगजनी, दुर्घटना, चोरी या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान के कारण बैट्री ऑपरेटेड वाहन को हुई क्षति के लिए संग्रहालय प्रबंधन उत्तरदायी नही होगा। संग्रहालय में बैट्री ऑपरेटेड वाहन से हुई दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संग्रहालय प्रबंधन उत्तरदायी नही होगा।

15. संग्रहालय की गरिमा अथवा पर्यटकों की सुविधा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख नियम शर्तो में नही है,को लागू करने के लिए जारी किये गये आदेशों /निर्देशों का पालन करना एवं उसमें सक्रिय योगदान देना संबंधित फर्म का दायित्व होगा।

16. नियम/अधिनियम में संशोधन अथवा न्यायालयीन निर्देशों के कारण तथा संग्रहालय के हित मे अथवा जनहित में किसी भी समय कोई भी शर्त लागू करने का अधिकार निदेशक इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल को होगा। उसके लिए अनुबंधकर्ता संबंधित फर्म की सहमति आवश्यक नही होगी एवं संबंधित फर्म को बिना शर्त मान्य होगी।

17. संग्रहालय के प्रबंधन/संवर्धन के हित में संबंधित फर्म को निदेशक इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल के समस्त निर्देश मानने होगे।

18. बैट्री ऑपरेटेड वाहन में संगीत बजाना प्रतिबंधित होगा।

19. संग्रहालय में बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन का दिन एवं समय संग्रहालय के खुलने एवं बंद होने के लिए निर्धारित समय अनुसार होगा।

20. संग्रहालय में पर्यटकों के वाहनों हेतु निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही बैट्री ऑपरेटेड वाहन पार्क करना होगा। केवल वृद्ध तथा दिव्यांग पर्यटकों हेतु प्रदर्शनी परिसर में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही बैट्री ऑपरेटेड वाहन ले जाया जा सकेगा I

22. संग्रहालय में बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को संग्रहालय एवं फर्म के प्रबंधक संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परिचय पत्र प्रदाय किया जावेगा जो संबंधित फर्म को तैयार कराकर देना होगा। जिसकी डिजाइन निदेशक, इं. गा . रा. मा. सं,भोपाल द्वारा अनुमोदित की जावेगी।

23. संग्रहालय में बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारियों मेंटेनेंस स्टाफ एवं प्रबंधक के अतिरिक्त फर्म के किसी भी व्यक्ति को संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता नही होगी।

24. बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को पर्यटकों हेतु बनाये गये नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25. बैट्री ऑपरेटेड वाहन के संचालन हेतु संबंधित फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को संग्रहालय सुरक्षा /वाहन प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

26. सफल निविदाकार को संग्रहालय के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

27. सफल निविदाकार को बैट्री ऑपरेटेड वाहन में बैठने वाले पर्यटकों की सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य होगा।

28. सफल निविदाकार को बैट्री ऑपरेटेड वाहन में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग पर्यटकों हेतु बैठक व्यवस्था पृथक से सुनिश्चित करना होगी साथ ही उनके वाहन पर चढ़ने उतरने हेतु आवश्यक प्रावधान करना होगा।

29. संग्रहालय के निरीक्षण हेतु आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों आदि के लिये आवश्यकता पड़ने पर न लाभ न हानि के आधार पर निदेशक इं. गा . रा. मा. सं,भोपाल को बैट्री ऑपरेटेड वाहन उपलब्ध कराना होगा जिसका किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

30. संग्रहालय के सक्षम एवं अधिकृत अधिकारी को कभी भी बैट्री ऑपरेटेड वाहन मे बैठे पर्यटकों के अनुज्ञा पत्रा की जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस जांच के दौरान सफल निविदाकार अथवा उनके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ले सकेंगे। अनियमितता पाये जाने पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का अधिकार निदेशक इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल को होगा। निदेशक इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल उक्त स्थिति में अनुबंध भी निरस्त कर सकेंगे।

31. अनेपक्षित प्राकृतिक घटनाओं, संक्रमण आदि के कारण संग्रहालय पर्यटकों हेतु बंद रहने की स्थिति में निविदाकार को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान संग्रहालय प्रबंधन द्वारा नहीं किया जावेगा।

32. शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में बैट्री ऑपरेटेड वाहन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होने को प्राथमिकता दी जावेगी।

33. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक इं. गा . रा. मा. सं, भोपाल को होगा।

निदेशक

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल

<u>एनेक्जर -1</u>

<u>इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय , भोपाल में पर्यटकों की सुविधा हेतु 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु वित्तीय प्रस्ताव</u>

फार्म

1. निविदाकार का नाम: ....

2. संस्था/ फर्म का नाम एवं पता:..
....

3. पिछले अनुभव का विवरण:...
....

4 आयकर पेन का क्रमांक : ....

5 संस्था/ फर्म में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :...
....

6 वार्षिक टर्न ओवर:..

7 संग्रहालय परिसर में पर्यटकों की सुविधा हेतु निजी कंपनी की भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से 6/11 सीटर बैट्री ऑपरेटेड फोर व्हीलर गोल्फ कार्ट वाहन चलाने हेतु प्रस्तावित राशि

निविदा प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति के ह्स्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै...आत्मज.........
....
....निवासी.....
....
....
.........घेषणा करता /करती हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी मेरे ज्ञात अनुसार सही है,इसमें यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो इसके लिये मै स्वयं जिम्मेदार हूं।

निविदा प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति के ह्स्ताक्षर